जाता है। कार्यवाही दिं. 28.5.18 को
पेश है।

अपर कलक्टर, नागौर

हनुमाराम v/s हरफूल रेफरेंस नं. 12/13

28/5/18 प्रार्थीगण के वकील अभिभाषक को
बार-2 आवाज लगाई मगर कोई नहीं
हाजिर है। वकील साहबान अनावेदकगण
1 की कार्यवाही हेतु समन जारी करने के आदेश
पारित 5 माह से लगातार दिये जाने के बावजूद
26.11.15 के पश्चात समन तामील किये गये हैं
अतः प्रार्थीगण का प्रतीकात्मक समन जारी; तरफ
तहसीलदार व NON-compliance की रिपोर्ट
किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से
प्रतीत होता है SDO (AC) नागौर के समक्ष
वाद नं. 210/73 सिविल मडकुलहाजिर
निर्णय दिनांक 30.10.74 के SC की भूमि आवंटन
नियम जारी करने के दिये गये को लेकर 232 व अन्य
रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार नागौर को
निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय का परीक्षण
देखें यदि राजकीय हितों/SC/किसी विवाद
निर्णय से तो जिलाधिकारी महोदय नागौर के
माध्यम प्रस्तुत कर दिशा निर्देश प्राप्त करें। निरंतर
निरस्त कार्यवाही जारी रखें। अगली तहसीलदार
को नोटी जारी। पत्रावली मौलाधुनार है। निरंतर
चालू होकर कार्यवाही प्रस्तुत करें।

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान